न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर०ए०एस०)

जीसीएमएस नं. 2025/374
मुकदमा नम्बर 114/2025 दर्ज दिनांक– 09.07.2025

1. शशी देवी पत्नी कान सिंह,तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू
2. लक्ष्मी शेखावत पुत्री कान सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण बुगाला, तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री अमर सिंह
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: निर्णय दिनांक 10.09.2025

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम बुगाला, पटवार हल्का बुगाला की सरहद में अवस्थित भूमि खाता सं. 164 नया के अन्तर्गत खसरा नं. 1 रकबा 1.79 है0, भूमि खसरा नं. 1704/5 रकबा 0.09 है0, भूमि खसरा न. 04 रकबा 0.05 है0, भूमि खसरा नं. 5 रकबा 3.2755 है0, भूमि खसरा नं. 6 रकबा 0.05 है0, भूमि खसरा नं. 7 रकबा 2.10 है0, खसरा नं. 82 रकबा 2.33 है0 तथा भूमि खसरा नं. 83 रकबा 2.63 है0 कुल किता 08 कुल रकबा 12.32 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया सं. 1 का नाम शुशी देवी के स्थान पर शशि देवी तथा लक्ष्मी कंवर के स्थान पर लक्ष्मी शेखावत दुरूस्त किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक की और से जरिये पैरो. राज. उपस्थित हो कोई उजर एतराज व्यक्त नही किया गया।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई।

लिहाजा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र तथा प्रस्तुत दस्तजावेजों की छाया प्रति के आधार पर पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम बुगाला, पटवार हल्का बुगाला की सरहद में अवस्थित भूमि खाता सं. 164

उपखण्ड अधिकारी

नया के अन्तर्गत खसरा नं. 1 रकबा 1.79 है0, भूमि खसरा नं. 1704/5 रकबा 0.09 है0, भूमि खसरा न. 04 रकबा 0.05 है0, भूमि खसरा नं. 5 रकबा 3.2755 है0, भूमि खसरा नं. 6 रकबा 0.05 है0, भूमि खसरा नं. 7 रकबा 2.10 है0, खसरा नं. 82 रकबा 2.33 है0 तथा भूमि खसरा नं. 83 रकबा 2.63 है0 कुल किता 08 कुल रकबा 12.32 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया सं. 1 का नाम शुशी देवी के स्थान पर शशि देवी तथा लक्ष्मी कंवर के स्थान पर लक्ष्मी शेखावत दुरूस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुनू